माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल, (भोपाल)

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1507 प्रकरण क्रमांक : ....

इफ़्तिख़ार उद्दीन आ0 हाफ़िज़ सुलेमान, वयस्क
निवासी – ग्राम बैरसिया, तहसील बैरसिया,
ज़िला भोपाल .... **आवेदक**

विरूद्ध

01. **वसीमउद्दीन**, वयस्क
02. **क़लीमउद्दीन**, वयस्क
दोनों निवासीगण – ग्राम बैरसिया,
ज़िला भोपाल .... **अनावेदक**

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण 318/ए/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2017 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति से समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1507

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23-9-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा कब्जेदार का कब्जा वर्ष 1991-92 के लिए ही मान्य किया गया है, आगे के वर्षों के लिए नहीं, क्योंकि आगे के वर्षों में कम्प्यूटर अभिलेख में अंकित कब्जा वास्तविक रूप से नहीं होकर, तकनीकी कारणों से दर्ज है । अत: तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 16-7-92 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के खसरा नं. 12 में दर्ज प्रविष्टि विलोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	